रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003—05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2010, बृहस्पतिवार/माघ 30—फाल्गुन 6, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 313, 316, 318]
No. 8] DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2010, THURSDAY/MAGHA 30—PHALGUNA 6, 1931 [N.C.T.D. Nos. 313, 316, 318]

भाग —IV
PART –IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2010

सं. फा. 4/5/2003/गृह (सामान्य)/794.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू.-11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री गिरीश शर्मा एवं श्री पी. एस. चग्गर, पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसकी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,
बी. एम. जैन, उपसचिव

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2010

No. F. 4/5/2003-Home (G)/794.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Girish Sharma and Shri P.S. Chaggar, Registrar of the High Court of Delhi to be the Executive Magistrate in the Metropolitan area of Delhi, till they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

B. M. JAIN, Dy. Secy.

751 DG/2010

No. F. 10(1076)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10523.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 845,40,00,000 for issue of unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 62A bearing distinctive No. 00000001 to 00008454 to be issued by the said company.

By Order
of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

कार्यालय विकास आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2010

सं. एफ. 12(215) ए.एच.डी./एस.पी.सी.ए/2010/4868.—पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम समिति (डीएसपीसीए) जिसका कुदुसिया रोड (अब बुलवर्ड रोड, दिल्ली-54) में पंजीकृत कार्यालय है, उसे समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम के अंतर्गत पशुओं के प्रति किए गए अपराधों संबंधी, पशुओं के उपचार तथा देखभाल के लिये अस्पताल (इनर्फिमरी) के रूप में नियुक्त करती है, और इसके लिये किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने तक इसमें किसी पशु को रखने के लिये प्राधिकृत भी करती है।

आदेश से,

दीपक मोहन स्पोलिया, विकास आयुक्त

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2010

No. F. 12(215) AHD/SPCA/2010/4868.—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Prevention of Cruetly to Animals Act, 1960 the Govt. of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Delhi Society for Prevention of Cruetly to Animals, having its registered office at Qudsia Road (Now Boulevard Road, Delhi-110054) in respect of entire NCTof Delhi and Infirmary for the treatment and care of animals in respect of which offences against the said Act have been committed, and further authorise the detention therein of any animal pending its production before a Magistrate.

By Order,

D. M. SPOLIA, Development Commissioner

751 DG/10-2

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 फरवरी, 2010

पैरोल/छुट्टी:मार्ग-निदेश, 2010

सं. एफ. 18/91/2009/एचजी/765.—उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पैरोल/छुट्टी के मामलों में अपनाये जाने वाले निम्नलिखित मार्ग निदेश जारी किए हैं, दिशा-निदेश-सिद्ध दोषियों पर लागू होंगे, अर्थात् जो विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराधों के सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी हो गए हैं तथा जेल में सजा काट रहे हैं।

2. वर्तमान मार्ग-निदेश 'पैरोल/छुट्टी:मार्ग-निदेश, 2010 कहे जाएंगे तथा ये तत्काल लागू होंगे।

3. वर्तमान मार्ग निदेशों का आशय पैरोल के लिये आवेदन विनियमित करने से तथा यह सुनिश्चित करने से है कि उन पर निष्पक्षतापूर्वक तथा पारदर्शितापूर्वक विचार किया गया है। मार्ग-निदेश पैरोल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, जो अन्य में से हो सकते हैं :—

3.1 पारिवारिक सदस्यों के साथ सम्बद्धता को बढ़ाना;

3.2 स्वसम्मान तथा विश्वास के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना;

3.3 जीवन में सकारात्मक सोच तथा रूचि विकसित करना;

3.4 आंतरिक तनाव से निपटाना;

3.5 सामाजिक मेल-जोल का संरक्षण।

4. दो किस्म के पैरोल होंगे जिसका कोई सिद्ध दोषी पात्र होगा :—

(1) अभिरक्षा पैरोल

(2) नियमित पैरोल

अभिरक्षा पैरोल

5. "अभिरक्षा पैरोल" आपातकालीन परिस्थितियों में ही नियमानुसार दिया जाएगा :—

5.1 पारिवारिक सदस्य की मृत्यु;

5.2 पारिवारिक सदस्य का विवाह;

5.3 पारिवारिक सदस्य की गंभीर बीमारी; या

5.4 अन्य कोई आपातकालीन परिस्थिति।

6. जेल अधीक्षक इस आशय का आवेदन/अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन से उपरोक्त खंड 5 में उल्लिखित परिस्थितियों की विद्यमानता को सत्यापित करेगा।

7. "अभिरक्षा पैरोल" जेल अधीक्षक द्वारा जारी लिखित आदेश द्वारा दिया जाएगा जिसकी अवधि छः घंटे से अधिक नहीं होगी, इसमें